पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-
दिनांक:-10.12.2025

जोन- पश्चिमी

पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा वर्ष 1999 में जनपद देवरिया में पुलिस अधीक्षक देवरिया के रूप में नियुक्ति के दौरान अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए जिला उद्योग केंद्र देवरिया के औद्योगिक प्लाट संख्या - B2 का आवंटन अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम व पते में परिवर्तन कर कूट रचित अभिलेख तैयार कराकर छद्म नाम से आवंटित कराया तथा बाद में लाभ कमाने के उद्देश्य से इसे विक्रय कर दिया गया।

उपरोक्त प्रकरण में संजय शर्मा निवासी राजाजीपुरम थाना- तालकटोरा द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि" वर्ष 1999 में श्रीमती नूतन ठाकुर पत्नी श्री अमिताभ ठाकुर तत्कालीन एसपी देवरिया ने जिला उद्योग केंद्र देवरिया से औद्योगिक प्लाट संख्या B-2 का आवंटन कराया था। इस आवंटन हेतु श्रीमती नूतन ठाकुर ने अपने एवं अपने पति के वास्तविक नाम पते के स्थान पर (झूठे नाम नूतन देवी) झूठे पति के नाम (अभिजात ठाकुर /अभिताप ठाकुर तथा झूठ पते (ग्राम खैरा जिला सीतामढ़ी बिहार) का प्रयोग किया तथा उक्त प्रक्रिया में कूट रचित दस्तावेज (आवेदन पत्र, शपथ पत्र, ट्रेजरी चालान ट्रांसफर डीड आदि) तैयार कर सरकारी विभागों को गुमराह किया तथा तत्समय श्री अमिताभ ठाकुर देवरिया जिले के पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर उक्त अपराधों को संरक्षण एवं सहयोग प्रदान किया बाद में उसे उसे उक्त संपत्ति का विक्रय वास्तविक नाम पति के नाम एवं पते के आधार पर किया गया जिससे सरकारी विभागों बैंकों एवं अन्य पक्षकारों राज्य सरकार को लंबे समय तक धोखे में रखा गया। नूतन ठाकुर द्वारा अपने और अपने परिवार के लिए लाभ कमाने के उद्देश्य से सोच समझकर कपट पूर्ण व्यवहार किया और पहले तो अपने और अपने पति के फर्जी नाम वाले कूट रचित पहचान पत्र बनाएं और बाद में इस प्रकार बनाए गए कूट रचित पहचान पत्रों और दस्तावेजों को असली की तरह प्रयोग करके इन दस्तावेजों के आधार पर अपने और अपने पति के छद्म नामों से औद्योगिक स्थान में छल द्वारा प्लाट आवंटित करा लिया। इस प्रकार से नूतन ने निजी लाभ कमाने के लिए जालसाजी व धोखाधड़ी की और व्यावसायिक प्लाट की ट्रांसफर डीड छद्म नाम से बनाकर बाकायदा पंजीकृत कराकर धोखाधड़ी से प्लाट पर कब्जा कर लिया "

उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना - तालकटोरा पर मुकदमा अपराध संख्या - 183 /25 धारा - 419, 420, 467, 468, 471, 34, 120 बी आईपीसी दिनांक 12.9.2025 को पंजीकृत हुआ।

प्रकरण में निष्पक्ष एवं पारदर्शी विवेचना हेतु डीसीपी पश्चिमी द्वारा SIT का गठन किया गया। गहन विवेचनात्मक कार्यवाही, जनपद देवरिया में अभिलेखीय साक्ष्य संकलन, बिहार में संबंधित नाम पते के सत्यापन , अभिलेखीय साक्ष्य संकलन, गवाहों से पूछताछ आदि से से पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आज दिनांक 10.12.2025 को समय लगभग 3:45 am पर अभियुक्त अमिताभ ठाकुर को सीतापुर महोली बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त अमिताभ ठाकुर को घटनास्थल जनपद- देवरिया का होने के दृष्टिगत नियमानुसार जनपद देवरिया में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-

दिनांक:-10.12.2025

जोन- पश्चिमी

पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा वर्ष 1999 में जनपद देवरिया में पुलिस अधीक्षक देवरिया के रूप में नियुक्ति के दौरान अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए जिला उद्योग केंद्र देवरिया के औद्योगिक प्लाट संख्या - B2 का आवंटन अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम व पते में परिवर्तन कर कूट रचित अभिलेख तैयार कराकर छद्म नाम से आवंटित कराया तथा बाद में लाभ कमाने के उद्देश्य से इसे विक्रय कर दिया गया।

उपरोक्त प्रकरण में संजय शर्मा निवासी राजाजीपुरम थाना- तालकटोरा द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि" वर्ष 1999 में श्रीमती नूतन ठाकुर पत्नी श्री अमिताभ ठाकुर तत्कालीन एसपी देवरिया ने जिला उद्योग केंद्र देवरिया से औद्योगिक प्लाट संख्या B-2 का आवंटन कराया था। इस आवंटन हेतु श्रीमती नूतन ठाकुर ने अपने एवं अपने पति के वास्तविक नाम पते के स्थान पर (झूठे नाम नूतन देवी) झूठे पति के नाम (अभिजात ठाकुर /अभिताप ठाकुर तथा झूठ पते (ग्राम खैरा जिला सीतामढ़ी बिहार) का प्रयोग किया तथा उक्त प्रक्रिया में कूट रचित दस्तावेज (आवेदन पत्र, शपथ पत्र, ट्रेजरी चालान ट्रांसफर डीड आदि) तैयार कर सरकारी विभागों को गुमराह किया तथा तत्समय श्री अमिताभ ठाकुर देवरिया जिले के पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर उक्त अपराधों को संरक्षण एवं सहयोग प्रदान किया बाद में उसे उसे उक्त संपत्ति का विक्रय वास्तविक नाम पति के नाम एवं पते के आधार पर किया गया जिससे सरकारी विभागों बैंकों एवं अन्य पक्षकारों राज्य सरकार को लंबे समय तक धोखे में रखा गया। नूतन ठाकुर द्वारा अपने और अपने परिवार के लिए लाभ कमाने के उद्देश्य से सोच समझकर कपट पूर्ण व्यवहार किया और पहले तो अपने और अपने पति के फर्जी नाम वाले कूट रचित पहचान पत्र बनाएं और बाद में इस प्रकार बनाए गए कूट रचित पहचान पत्रों और दस्तावेजों को असली की तरह प्रयोग करके इन दस्तावेजों के आधार पर अपने और अपने पति के छद्म नामों से औद्योगिक स्थान में छल द्वारा प्लाट आवंटित करा लिया । इस प्रकार से नूतन ने निजी लाभ कमाने के लिए जालसाजी व धोखाधड़ी की और व्यावसायिक प्लाट की ट्रांसफर डीड छद्म नाम से बनाकर बाकायदा पंजीकृत कराकर धोखाधड़ी से प्लाट पर कब्जा कर लिया "

उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना - तालकटोरा पर मुकदमा अपराध संख्या - 183 /25 धारा - 419, 420, 467, 468, 471, 34, 120 बी आईपीसी दिनांक 12.9.2025 को पंजीकृत हुआ।

प्रकरण में निष्पक्ष एवं पारदर्शी विवेचना हेतु डीसीपी पश्चिमी द्वारा SIT का गठन किया गया। गहन विवेचनात्मक कार्यवाही, जनपद देवरिया में अभिलेखीय साक्ष्य संकलन, बिहार में संबंधित नाम पते के सत्यापन , अभिलेखीय साक्ष्य संकलन, गवाहों से पूछताछ आदि से से पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आज दिनांक 10.12.2025 को समय लगभग 3:45 am पर अभियुक्त अमिताभ ठाकुर को सीतापुर महोली बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्त अमिताभ ठाकुर को घटनास्थल जनपद- देवरिया का होने के दृष्टिगत नियमानुसार जनपद देवरिया में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-

दिनांक:-10.12.2025

जोन- पश्चिमी

पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा वर्ष 1999 में जनपद देवरिया में पुलिस अधीक्षक देवरिया के रूप में नियुक्ति के दौरान अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए जिला उद्योग केंद्र देवरिया के औद्योगिक प्लाट संख्या - B2 का आवंटन अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम व पते में परिवर्तन कर कूट रचित अभिलेख तैयार कराकर छद्म नाम से आवंटित कराया तथा बाद में लाभ कमाने के उद्देश्य से इसे विक्रय कर दिया गया।

उपरोक्त प्रकरण में संजय शर्मा निवासी राजाजीपुरम थाना- तालकटोरा द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि" वर्ष 1999 में श्रीमती नूतन ठाकुर पत्नी श्री अमिताभ ठाकुर तत्कालीन एसपी देवरिया ने जिला उद्योग केंद्र देवरिया से औद्योगिक प्लाट संख्या B-2 का आवंटन कराया था। इस आवंटन हेतु श्रीमती नूतन ठाकुर ने अपने एवं अपने पति के वास्तविक नाम पते के स्थान पर (झूठे नाम नूतन देवी) झूठे पति के नाम (अभिजात ठाकुर /अभिताप ठाकुर तथा झूठ पते (ग्राम खैरा जिला सीतामढ़ी बिहार) का प्रयोग किया तथा उक्त प्रक्रिया में कूट रचित दस्तावेज (आवेदन पत्र, शपथ पत्र, ट्रेजरी चालान ट्रांसफर डीड आदि) तैयार कर सरकारी विभागों को गुमराह किया तथा तत्समय श्री अमिताभ ठाकुर देवरिया जिले के पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर उक्त अपराधों को संरक्षण एवं सहयोग प्रदान किया बाद में उसे उसे उक्त संपत्ति का विक्रय वास्तविक नाम पति के नाम एवं पते के आधार पर किया गया जिससे सरकारी विभागों बैंकों एवं अन्य पक्षकारों राज्य सरकार को लंबे समय तक धोखे में रखा गया। नूतन ठाकुर द्वारा अपने और अपने परिवार के लिए लाभ कमाने के उद्देश्य से सोच समझकर कपट पूर्ण व्यवहार किया और पहले तो अपने और अपने पति के फर्जी नाम वाले कूट रचित पहचान पत्र बनाएं और बाद में इस प्रकार बनाए गए कूट रचित पहचान पत्रों और दस्तावेजों को असली की तरह प्रयोग करके इन दस्तावेजों के आधार पर अपने और अपने पति के छद्म नामों से औद्योगिक स्थान में छल द्वारा प्लाट आवंटित करा लिया । इस प्रकार से नूतन ने निजी लाभ कमाने के लिए जालसाजी व धोखाधड़ी की और व्यावसायिक प्लाट की ट्रांसफर डीड छद्म नाम से बनाकर बाकायदा पंजीकृत कराकर धोखाधड़ी से प्लाट पर कब्जा कर लिया "

उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना - तालकटोरा पर मुकदमा अपराध संख्या - 183 /25 धारा - 419, 420, 467, 468, 471, 34, 120 बी आईपीसी दिनांक 12.9.2025 को पंजीकृत हुआ।

प्रकरण में निष्पक्ष एवं पारदर्शी विवेचना हेतु डीसीपी पश्चिमी द्वारा SIT का गठन किया गया। गहन विवेचनात्मक कार्यवाही, जनपद देवरिया में अभिलेखीय साक्ष्य संकलन, बिहार में संबंधित नाम पते के सत्यापन , अभिलेखीय साक्ष्य संकलन, गवाहों से पूछताछ आदि से से पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आज दिनांक 10.12.2025 को समय लगभग 3:45 am पर अभियुक्त अमिताभ ठाकुर को सीतापुर महोली बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्त अमिताभ ठाकुर को घटनास्थल जनपद- देवरिया का होने के दृष्टिगत नियमानुसार जनपद देवरिया में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-

दिनांक:-10.12.2025

जोन- पश्चिमी

पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा वर्ष 1999 में जनपद देवरिया में पुलिस अधीक्षक देवरिया के रूप में नियुक्ति के दौरान अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए जिला उद्योग केंद्र देवरिया के औद्योगिक प्लाट संख्या - B2 का आवंटन अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम व पते में परिवर्तन कर कूट रचित अभिलेख तैयार कराकर छद्म नाम से आवंटित कराया तथा बाद में लाभ कमाने के उद्देश्य से इसे विक्रय कर दिया गया।

उपरोक्त प्रकरण में संजय शर्मा निवासी राजाजीपुरम थाना- तालकटोरा द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि" वर्ष 1999 में श्रीमती नूतन ठाकुर पत्नी श्री अमिताभ ठाकुर तत्कालीन एसपी देवरिया ने जिला उद्योग केंद्र देवरिया से औद्योगिक प्लाट संख्या B-2 का आवंटन कराया था। इस आवंटन हेतु श्रीमती नूतन ठाकुर ने अपने एवं अपने पति के वास्तविक नाम पते के स्थान पर (झूठे नाम नूतन देवी) झूठे पति के नाम (अभिजात ठाकुर /अभिताप ठाकुर तथा झूठ पते (ग्राम खैरा जिला सीतामढ़ी बिहार) का प्रयोग किया तथा उक्त प्रक्रिया में कूट रचित दस्तावेज (आवेदन पत्र, शपथ पत्र, ट्रेजरी चालान ट्रांसफर डीड आदि) तैयार कर सरकारी विभागों को गुमराह किया तथा तत्समय श्री अमिताभ ठाकुर देवरिया जिले के पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे। जिन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर उक्त अपराधों को संरक्षण एवं सहयोग प्रदान किया बाद में उसे उसे उक्त संपत्ति का विक्रय वास्तविक नाम पति के नाम एवं पते के आधार पर किया गया जिससे सरकारी विभागों बैंकों एवं अन्य पक्षकारों राज्य सरकार को लंबे समय तक धोखे में रखा गया। नूतन ठाकुर द्वारा अपने और अपने परिवार के लिए लाभ कमाने के उद्देश्य से सोच समझकर कपट पूर्ण व्यवहार किया और पहले तो अपने और अपने पति के फर्जी नाम वाले कूट रचित पहचान पत्र बनाएं और बाद में इस प्रकार बनाए गए कूट रचित पहचान पत्रों और दस्तावेजों को असली की तरह प्रयोग करके इन दस्तावेजों के आधार पर अपने और अपने पति के छद्म नामों से औद्योगिक स्थान में छल द्वारा प्लाट आवंटित करा लिया। इस प्रकार से नूतन ने निजी लाभ कमाने के लिए जालसाजी व धोखाधड़ी की और व्यावसायिक प्लाट की ट्रांसफर डीड छद्म नाम से बनाकर बाकायदा पंजीकृत कराकर धोखाधड़ी से प्लाट पर कब्जा कर लिया "

उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना - तालकटोरा पर मुकदमा अपराध संख्या - 183 /25 धारा - 419, 420, 467, 468, 471, 34, 120 बी आईपीसी दिनांक 12.9.2025 को पंजीकृत हुआ।

प्रकरण में निष्पक्ष एवं पारदर्शी विवेचना हेतु डीसीपी पश्चिमी द्वारा SIT का गठन किया गया। गहन विवेचनात्मक कार्यवाही, जनपद देवरिया में अभिलेखीय साक्ष्य संकलन, बिहार में संबंधित नाम पते के सत्यापन , अभिलेखीय साक्ष्य संकलन, गवाहों से पूछताछ आदि से से पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आज दिनांक 10.12.2025 को समय लगभग 3:45 am पर अभियुक्त अमिताभ ठाकुर को सीतापुर महोली बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त अमिताभ ठाकुर को घटनास्थल जनपद- देवरिया का होने के दृष्टिगत नियमानुसार जनपद देवरिया में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ
मिशन शक्ति बुलेटिन-I

दिनांक- 10.12.2025

मिशन शक्ति 5.0
थाना पारा पिंक बूथ ने महिलाओं व बच्चों को साइबर धोखाधड़ी व अपराधों के प्रति किया जागरूक।

थाना पारा की पिंक बूथ टीम द्वारा हंसखेड़ा मोड, पुराना पारा में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं एवं बच्चों को महिलाओं के खिलाफ अपराधों, साइबर फ्रॉड से बचाव, महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर तथा सी.ई.आई.आर. पोर्टल व यूपी कॉप ऐप की दी जानकारी।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

थाना पारा की पिंक बूथ टीम द्वारा हंसखेड़ा मोड, पारा पर मिशन शक्ति के तहत एक महत्वपूर्ण जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें राहगीर महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया। इस दौरान महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई और साथ ही उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव के उपायों से अवगत कराया गया। यह पहला सकारात्मक कदम है जो समाज में सुरक्षा और जागरूकता का संदेश फैला रहा है।

आयोजक/ अयोजन स्थल

- महिला का0 पूजा सरोज, थाना पारा , लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला का0 अर्चना सागर, थाना पारा , लखनऊ कमिश्नरेट
- थाना पारा क्षेत्र के हंसखेड़ा मोड़।

प्रतिभाग-

- महिला का0 पूजा सरोज, थाना पारा , लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला का0 अर्चना सागर, थाना पारा , लखनऊ कमिश्नरेट
- थाना पारा क्षेत्र के हंसखेड़ा मोड़ पर करीब 20-25 महिलाओं एवं बच्चे।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

लखनऊ पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण की गंभीर प्रतिबद्धता के तहत, दिनांक 10.12.2025 को थाना पारा क्षेत्र के पिंक बूथ टीम द्वारा हंसखेड़ा मोड़, पारा पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नें करीब 20-25 महिलाओं एवं बच्चों के साथ संवाद करके महिला अपराध, साइबर अपराध, सी.ई.आई.आर. पोर्टल, यूपी कॉप ऐप तथा विभिन्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

विशेष रूप से 1090 (महिला पावर लाइन), 112 (आपातकालीन सेवाएं), 108 (एम्बुलेंस सेवा), 1098 (चाइल्डलाइन) और 1076 (टोल-फ्री हेल्पलाइन) के उपयोग के बारे में बताया गया। साथ ही, साइबर फ्रॉड से बचने के उपायों, महिला हेल्प डेस्क के कार्यों तथा मिशन शक्ति केंद्र की भूमिका से अवगत कराया गया। कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना, महिला शक्ति को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग करना, छात्र-छात्राओं को मिशन शक्ति एवं साइबर अपराधों के प्रति शिक्षित करना तथा हेल्पलाइन नंबरों की उपयोगिता से परिचित कराना था। इसके माध्यम से बालिकाओं को उनके भविष्य के प्रति आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रेरित किया गया और ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षा संबंधी विषयों पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

- महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना
- महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग करना तथा उनमें आत्मविश्वास जगाना
- छात्र-छात्राओं को मिशन शक्ति और साइबर अपराधों के प्रति शिक्षित करना
- विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की उपयोगिता और महत्व से अवगत कराना
- साइबर अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी प्रदान करना

कार्यक्रम का महत्व:

यह कार्यक्रम महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के मिशन शक्ति के व्यापक उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में एक सार्थक पहल साबित हुआ। पिंक बूथ के माध्यम से आम जनता, विशेष रूप से महिलाओं और युवतियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना एक प्रभावी रणनीति रही, जिससे उन्हें न केवल सुरक्षा संबंधी essential जानकारी प्राप्त हुई, बल्कि थाना स्तर पर संचालित महिला सुरक्षा केंद्र, हेल्प डेस्क तथा सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी समुचित मार्गदर्शन मिल सका। यह पहल समुदाय और पुलिस के बीच की दूरी को कम करने तथा महिलाओं को उनकी सुरक्षा के प्रति सजग और सशक्त बनाने में सहायक रही।

निष्कर्ष (Conclusion)

मिशन शक्ति 5.0 के तहत थाना पारा पुलिस द्वारा आयोजित यह जागरूकता कार्यक्रम लखनऊ पुलिस की **महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण** के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऐसे अभियान न केवल महिलाओं और युवाओं को जागरूक बनाते हैं, बल्कि एक सुरक्षित और अधिक सजग समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-II

दिनांक- 10.12.2025

मिशन शक्ति 5.0: गली-मोहल्लों में महिला सशक्तिकरण का संदेश

थाना वजीरगंज की पिंक बूथ टीम द्वारा सिटी स्टेशन के बाहर (महिलाओं और बच्चो) को मिशन शक्ति के तहत किया जागरूक ।

मिशन शक्ति के तहत, थाना वजीरगंज की पिंक बूथ ने सिटी स्टेशन के बाहर रोड़ पर एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया। इस पहल के द्वारा टीम ने गली-मोहल्लों में महिला सशक्तिकरण का संदेश पहुँचाते हुए स्थानीय महिलाओं, छात्राओं और बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। यह प्रयास महिला सुरक्षा के नए सफर का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो 'पिंक बूथ' की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और समुदाय में सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

महिला सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश सरकार की **पिंक बूथ** एक प्रमुख पहल प्रदेश भर में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह **पिंक बूथ** उन सभी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय और सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन शोषण या किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना कर रही हैं।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

आयोजक/ अयोजन स्थल

- महिला का0 प्रिति गुन्जन, पिंक बूथ थाना वजीरगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला का0 सोनम, पिंक बूथ थाना वजीरगंज, लखनऊ कमिश्नरेट

प्रतिभाग-

- थाना वजीरगंज की पिंक बूथ ने सिटी स्टेशन के बाहर रोड़ पर **राहगीरो (महिलाओं, छात्राओं और बच्चो) को मिशन शक्ति के तहत किया जागरूक ।**

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.12.2025 को थाना वजीरगंज क्षेत्र थाना वजीरगंज की पिंक बूथ ने सिटी स्टेशन के बाहर रोड़ पर राहगीरो करीब 25- 30 महिलाओ (महिलाओं, छात्राओं और बच्चो) को मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम में महिलाओं को अपने साथ हो रहे अपराधों व अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई साथ ही साथ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे 1090 (महिला पावर लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्डलाइन), 1076 (टोल-फ्री सिटीजन कॉल सेंटर), 101 (अग्निशमन), 102 (एम्बुलेंस), 108 (आपातकालीन सेवा), 112 (ईआरएसएस) और 1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन) के बारे में विस्तार से बताया गया। इसके अलावा, उन्हें यूपी- (यूपी कोप) एवं महिलाओं के लिए समर्पित अन्य सरकारी योजनाओं से भी अवगत कराया गया।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-V

"मिशन शक्ति 5.0

"सतर्क, सजग, सशक्त नारी; सुरक्षित परिवार, मजबूत समाज!"

थाना अलीगंज पुलिस टीम द्वारा अलीगज क्षेत्रान्तर्गत पुरनिया पुल के पास महिलाओं ,बालिकाओं व छोटे बच्चों को पम्पलेट वितरण करके महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने और उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव की दी गई जानकारी।

दिनांक- 10.12.2025

महिला सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल, "मिशन शक्ति महिलाओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय और सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन शोषण, या किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना कर रही हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार, पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट लखनऊ के मार्गदर्शन में 22 सितंबर 2025 से 'मिशन शक्ति 5.0' का विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान नारी सशक्तिकरण को एक नई दिशा और गति प्रदान कर रहा है।

लखनऊ पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जनपद के सभी 54 थानों में विशेष 'मिशन शक्ति केन्द्र' स्थापित किए हैं। यह निर्णय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर, पुलिस आयुक्त, लखनऊ के मार्गदर्शन में "मिशन शक्ति 5.0" के तहत लिया गया है

आयोजक/आयोजन स्थल-

- महिला उ0नि0 प्रगति सिंह, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- उपनिरीक्षक रवींद्र नाथ प्रजापति, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट
- थाना अलीगंज क्षेत्रान्तर्गत पुरनिया रेलने क्रासिंक के पास

प्रतिभाग-

✓ महिला उ0नि0 प्रगति सिंह, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट

✓ उपनिरीक्षक रवींद्र नाथ प्रजापति, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट

✓ महिला आरक्षी दीक्षा, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट

✓ थाना अलीगंज क्षेत्रान्तर्गत पुरनिया पुल के पास करीब 20-25 महिलाओ एवं बच्चे।